कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Labour & Employment, Government of India
भविष्य निधि भवन / Bhavishya Nidhi Bhawan
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066
Bhikaiji Cama Place, New Delhi 110066
www.epfindia.gov.in

No. HRD/19/2018/RR for Publication/12240 Date: 19 SEP 2018

To

The Secretary,
Ministry of Labour & Employment
Government of India,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi – 110 001.

[By Name to: Shri Samir Kumar Das, Under Secretary, (SS-I), MoL&E]

Sub: Recruitment Rules for the posts of Senior Hindi Translator, Director (Information Services), Joint Director (Information Services), Deputy Director (Information Services) and Assistant Director (Information Services) in EPFO – regarding.

Sir,

Please refer to your letters bearing no.A-12018/01/2017-SS-I (Pt.II) dated 25th July, 2018 and A-12018/16/2016-SS-I (Pt.) dated 29th August, 2018 on the subject cited above.

2. In this regard, please find enclosed herewith a copy of Gazette notification of the RRs for the post of Senior Hindi Translator, Director (Information Services), Joint Director (Information Services), Deputy Director (Information Services) and Assistant Director (Information Services) in EPFO for record. The said RRs have been published in Part-III Section–4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 13th September, 2018 vide GI No.5416 and 5417.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(M. Ngullie)
Regional P.F. commissioner (HRD)

Copy to:

1. RPFC (HRM) for information please.
2. RPFC (NDC) with the request to upload on the website of EPFO.

(M. Ngullie)
Regional P.F. commissioner (HRD)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940
No. 352] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

सं. एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग.—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अयोग्यता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. ढील देने की शक्ति.—जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक (सूचना सेवा)	09* (2018) *(कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)	ग्रुप 'क' गैर- अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 (1,23,100-2,15,900 रुपये)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नतो के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 80% पदोन्नति द्वारा, (ii) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु- अवधि अनुबंध सहित) अथवा प्रोजेक्ट आधार पर तथा इसके अभाव में फीडर ग्रेड से पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा : लेवल-12 वेतन मैट्रिक्स (78,800-2,09,200 रूपये) में संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) : केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी : (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,200 रूपये) में पदों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: **अनिवार्य अर्हताएं :** (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातक (ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित किसी सरकारी कार्यालय में, ऐसे अनुभव सहित, प्रोग्रामिंग अथवा सूचना प्रणाली के *संबंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा दस वर्ष का अनुभव * संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा नेटवर्क सिस्टम में से एक अथवा उससे अधिक। अथवा (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- i. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार :**अध्यक्ष** ii. अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार :**सदस्य** iii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त : **सदस्य**	पदोन्नति पर नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति होने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो। **टिप्पणी 1** : केंद्र सरकार भलीभांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। **टिप्पणी 2 :** यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबधित अर्हता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 3** : केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग – बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्त (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 4 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो। **टिप्पणी 5 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा जहां समान वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।		

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि
आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि
[विज्ञापन-III/4/असा./228/18]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2018

No.HRD/7/2018/RR/IS Division:- In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation, namely:—

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.-** The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.- No Person, -**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director (Information Services)	09* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A', Non-Ministerial	Level – 13 in the Pay Matrix [Rs.1,23,100-2,15,900]	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	(i) 80% by Promotion, and (ii) 20% by Deputation (Including short-term Contract) or project basis failing which by promotion from feeder grade.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion: Joint Director (Information Services) in level-12 in the Pay Matrix [Rs.78,800-2,09,200] with five years regular service in the grade and have successfully completed training of two weeks in the relevant areas which includes one or more out of Database management or Operating Systems or Network Systems. **By Deputation (Including short-term contract):** Officers under the Central Government or State Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; (ii) With five years regular service in the grade in posts in Level-12 in the Pay Matrix [Rs.78,800-2,09,200] in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as under: **Essential Qualification:-** (i) Master's Degree in Computer Applications or Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognized University or Institute; **or** Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or	Group 'A' Departmental Promotion Committee **(for considering promotion or deputation)** consisting of**:-** (i) Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour and Employment - **Chairman** (ii) Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment -**Member** (iii) Central Provident Fund Commissioner – **Member**	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary while making appointment on promotion or deputation.

Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognized University or Institute. (ii) Ten years post qualification experience in relevant areas* of Programming or Information System in a Government Office including such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory body or in any recognized institution. *relevant areas mean one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems. **OR** (B) (i) Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University. (ii) Ten years' experience in Electronic Data Processing out of which at least one year experience should be in actual Programming. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 4:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that level in pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

SUSHIL K. LOHANI, Central Provident Fund Commissioner and
Secy., Central Board, Employees' Provident Fund
[ADVT.-III/4/Exty./228/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

संख्या: एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा:

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-**

   1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

   2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**

   उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-**

   भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता- वह व्यक्ति**

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

   (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **ढील देने की शक्ति-**

   जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. **व्यावृत्ति –**

   इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त निदेशक (सूचना सेवा)	30* (2018) (*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)	ग्रुप 'क' गैर - अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12 (78,800-2,09,2 00 रूपये)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नतो के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 80 % पदोन्न्ति द्वारा (ii) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु-अवधि अनुबंध सहित) अथवा प्रोजेक्ट आधार पर

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा : लेवल-11 वेतन मैट्रिक्स (67,700-2,08,700 रूपये) में उप निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित):** केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी : (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर / विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67,700-2,08,700 रूपये) में पदों के ग्रेड में 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा एवं	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:— i. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार: **अध्यक्ष** ii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त : **सदस्य** iii. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र अथवा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वांछित अर्हता एवं अनुभव रखने वाले समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी, - **सदस्य**	पदोन्नति पर नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति होने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: **अनिवार्य अर्हतांए :** (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातक (ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित किसी सरकारी कार्यालय में, ऐसे अनुभव सहित, डाटाबेस प्रबंधन अथवा प्रोग्रामिंग के ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली में अर्हताओं के अलावा आठ वर्ष का अनुभव अथवा (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि (ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो। **टिप्पणी 1** : केंद्र सरकार भली भांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। **टिप्पणी 2** : यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबधित अर्हता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 3** : केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग – बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 4 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो।		

टिप्पणी 5 : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा जहां समान वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।		

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि
[विज्ञापन-III/4/असा./228/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th Septermber, 2018

No.HRD/7/2018/RR/IS Division:—In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), the Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Director (Information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Joint Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.—**The number of the posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—No Person,—**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Director (Information Services)	30* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A', Non-Ministerial	Level – 12 in the Pay Matrix [Rs.78,800 - 2,09,200]	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable.	Not Applicable	(i) 80% by Promotion, and (ii) 20% by Deputation (including short-term contract) or project basis.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Deputy Director (Information Services) in level-11 in the Pay Matrix [Rs.67,700-2,08,700] with 05 (five) years regular service in the grade and have successfully completed training of two weeks in the relevant areas which includes one or more out of Database management or Operating Systems or Network Systems. **By Deputation (Including short-term contract)**: Officers under the Central Government or State Government : (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With 05 (five) years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 in the Pay Matrix [Rs.67,700-2,08,700] in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as under: **Essential Qualification:—** (A) (i) Master's Degree in Computer Applications **or** Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognized University or Institute; **or** Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognized University or Institute. (ii) Eight years post qualification experience in one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems	Group 'A' Departmental Promotion Committee **(for considering promotion or deputation)** consisting of**:—** (i) Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour and Employment — **Chairman** (ii) Central Provident Fund Commissioner - **Member** (iii) Senior Technical Director, National Informatics Centre or an official of equivalent rank having requisite qualification and experience in the field of information technology – **Member**	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary while making appointment on promotion or deputation.

of Programming or Information System in a Government Office including such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognized institution. **OR** (B) (i) Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University. (ii) Eight years' experience in Electronic Data Processing out of which at least 1 year experience should be in actual Programming. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that level in the pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

SUSHIL K. LOHANI, Central Provident Fund Commissioner and
Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./228/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

संख्या: एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उप निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए

अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, एतदद्वारा उप निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ—**

 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

 2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल—**

 उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं आदि—**

 भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता—वह व्यक्ति**

 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

 (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **ढील देने की शक्ति—**

 जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. **व्यावृत्ति—**

 इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निदेशक (सूचना सेवा)	60* 2017-2018 (*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)	ग्रुप 'क' गैर -अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 (67,700-2,08,7 00 रूपये)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नतो के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(i) 80% पदोन्नति द्ववारा, (i) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु-अवधि अनुबंध सहित) अथवा प्रोजेक्ट आधार पर

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा: लेवल-10 वेतन मैट्रिक्स (56,100-1,77,500 रूपये) में सहायक निदेशक (सुचना सेवा) के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित) :** केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी : (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56,100-1,77,500 रूपये) में पदों के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा एवं (ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: **अनिवार्य अर्हताएं :** (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी में स्नातक (कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातक	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:— i. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार : **अध्यक्ष** ii. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) : **सदस्य** iii. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, — सदस्य	पदोन्नति पर नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति होने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित किसी सरकारी कार्यालय में, ऐसे अनुभव सहित, प्रोग्रामिंग अथवा सूचना प्रणाली के *संबंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा पांच वर्ष का अनुभव *संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा नेटवर्क सिस्टम में से एक अथवा उससे अधिक। अथवा (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि (ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में 05 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो। **टिप्पणी 1** : केंद्र सरकार भलीभांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। **टिप्पणी 2** : यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबधित अर्हता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 3** : केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग – बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 4 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो। **टिप्पणी 5** : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी ग्रेड वेतन अथवा जहां समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही		

प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।		

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि
[विज्ञापन-III/4/असा./228/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2018

No.HRD/7/2018/RR/IS Division:- In exercise of the powers conferred by clause (a) sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes following rules regulating the method of Recruitment for the post of Deputy Director (Information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.-** The number of the posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.- No Person, -**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director (Information Services)	60* (2018) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A', Non-Ministerial	Level – 11 in the Pay Matrix [Rs.67,700-2,08,700]	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable.	Not Applicable	(i) 80% by Promotion, and (ii) 20% by Deputation (including short–term contract) or project basis.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion: Assistant Director (Information Services) in level-10 in the Pay Matrix [Rs.56,100-1,77,500] with five years regular service in the grade and have successfully completed training of two weeks in the relevant areas which includes one or more out of Database management or Operating Systems or Network Systems. **By Deputation (Including short-term contract)**: Officers under the Central Government or State Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With five years regular service in the grade in posts in level-10 in the Pay Matrix [Rs.56,100-1,77,500] in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as under:- **Essential Qualification:-** (A) (i) Master's Degree in Computer Applications **or** Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognized University or Institute; **or** Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognized University or Institute. (ii) Five years post qualification experience in relevant areas* of	Group 'A' Departmental Promotion Committee **(for considering promotion or deputation)** consisting of**:-** (i) Additional Secretary or Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment - **Chairman** (ii) Central Provident Fund Commissioner or Additional Central Provident Fund Commissioner (Hqrs.) - **Member** (iii) Technical Director, National Informatics Centre – **Member**	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary while making appointment on promotion or deputation.

Programming or Information System in a Government Office including such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognized institution. *relevant areas mean one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems **OR** (B) (i)Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University. (ii) Five years' experience in Electronic Data Processing out of which at least 1 year experience should be in actual Programming. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in the pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that level in the pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

SUSHIL K. LOHANI, Central Provident Fund Commissioner and
Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./228/18]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

संख्या: एच.आर.डी./7/2018/आर.आर./सूचना सेवा प्रभाग- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 19) की धारा 5डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सहायक निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, (कर्मचारी भविष्य निधि), एतदद्वारा सहायक निदेशक (सूचना सेवा) के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-**

1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-**

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-**

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अयोग्यता- वह व्यक्ति**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. **ढील देने की शक्ति-**

जहां केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. **व्यावृत्ति –**

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (सूचना सेवा)	120* (2018) *(कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)	ग्रुप 'क' गैर - अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 (56,100 - 1,77,500 रूपये)	चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नती के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष	(i) 80% पदोन्नति द्वारा (ii) 20% प्रतिनियुक्ति द्वारा (लघु-अवधि अनुबंध सहित) अथवा प्रोजेक्ट आधार पर

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा: लेवल-08 वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100 रूपये) में प्रोग्रामर (सुचना सेवा) के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा तथा जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसमें डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग प्रणाली अथवा नेटवर्क प्रणाली में से कोई एक अथवा अधिक शामिल हो। **प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पावधि संविदा सहित)** : केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत वे अधिकारी : (क) (i) मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदों पर कार्यरत; (ii) मूल कैडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47,600-1,51,100 रूपये) लेवल-08 में पदों के ग्रेड में 03 वर्ष की नियमित सेवा एवं	ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं:- i. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त : **अध्यक्ष** ii. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त : (सूचना सेवा) **सदस्य** iii. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, - **सदस्य**	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(ख) नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव रखते हों: **अनिवार्य अर्हताएं :** (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विज्ञान स्नातकोत्तर (कंप्यूटर विज्ञान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी); अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा प्रौद्योगिकी (कंप्यूटर इंजीनियरिंग अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) में स्नातक (ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान सहित किसी सरकारी कार्यालय में प्रोग्रामिंग अथवा सूचना प्रणाली के *संबंधित क्षेत्रों में अर्हताओं के अलावा तीन वर्ष का अनुभव * संबंधित क्षेत्र से तात्पर्य डाटाबेस प्रबंधन अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा नेटवर्क सिस्टम में से एक अथवा उससे अधिक। **अथवा** (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर अनुप्रयोग अथवा कंप्यूटर विज्ञान में उपाधि अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में उपाधि (ii) इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में 03 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में हो। **टिप्पणी 1** : केंद्र सरकार भलीभांति योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में, स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकती है, जिसके कारणों को लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। **टिप्पणी 2** : यदि चयन के किसी स्तर पर केंद्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में वांछित अनुभव सहित उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो सकेंगे तो इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी 3 :** केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संवर्ग – बाह्य (ex-cadre) पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सामान्यत: पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 4** : प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो। **टिप्पणी 5 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)		

आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 01.01.2016 को (उस तारीख को जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा तदनुरूपी ग्रेड वेतन अथवा जहां समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक से अधिक वेतनमान के संशोधन से पहले एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और जहां यह लाभ उस पद को ही प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान किसी उन्नयन के बिना समान प्रतिष्ठापन ग्रेड है, को छोड़कर आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए वेतनमान में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा।		

सुशील कुमार लोहानी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि
[विज्ञापन-III/4/असा./228/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2018

No.HRD/7/2018/RR/IS Division:- In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (7)of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Board (Employees' Provident Fund), hereby makes following rules regulating the method of Recruitment for the post of Assistant Director (Information Services) in the Employees' Provident Fund Organisation namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Assistant Director (Information Services) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.-** The number of the posts, its classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to said posts, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.- No Person, -**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Board, Employees' Provident Fund, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Information Services)	120* (2018) *Subject to variation dependent on work load	Group 'A', Non-Ministerial	Level-10 in the Pay Matrix Rs. 56,100-1,77,500	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two Years.	(i) 80% by Promotion, and (ii) 20% by Deputation (Including short-term contract) or project basis.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion: Programmers in level-8 in the pay matrix [Rs.47,600-1,51,100] with three years regular service in the Grade and have successfully completed training of two weeks in the relevant areas which includes one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems. **By deputation (Including short-term contract)**: Officers under the Central Government or State Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With 03 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the Pay matrix [Rs.47600-151100] in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed as under:- **Essential Qualification:-** (A) (i) Master's Degree in Computer applications or Master of Science (Computer Science or Information Technology) from a recognized University or Institute; **or** Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognized University or Institute. (ii) Three years post qualification experience in relevant areas* of programming or Information System in a Government Office including	Group 'A' Departmental Promotion Committee **(for considering promotion or deputation)** consisting of:- (i) Central Provident Fund Commissioner- **Chairman** (ii) Additional Central Provident Fund Commissioner (Information Services) – **Member** **(iii)** Technical Director (National Informatics Centre) – **Member**	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary while making appointment on promotion or deputation.

such experience in Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognized Institutions. *Relevant areas means one or more out of Database Management or Operating Systems or Network Systems. **OR** (B) (i)Degree in Computer Applications or Computer Science or Degree in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognized University. (ii) Three years' experience in Electronic Data Processing out of which at least 1 year experience should be in actual Programming. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates, otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note 3:** The period of deputation (Including Short Term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short Term Contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 5:** For the purpose of appointment on deputation (Including Short Term Contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in pay matrix or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common level in pay matrix or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that level in pay matrix or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

SUSHIL K. LOHANI, Central Provident Fund Commissioner and
Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./228/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2018/भाद्र 22, 1940
No. 351] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2018/BHADRA 22, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2018

सं. मा.सं. प्र. /22/2016/आर.आर./ओ.एल. - कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक भर्ती नियम, 2003 का अधिक्रमण करते हुए, इसके पूर्व किए गए अथवा किया जाना छोड़े गए बदलाव के अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एतदद्वारा वरिष्ठ हिंदी अनुवादक भर्ती के पद पर नियुक्ति की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ- (1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (वरिष्ठ हिंदी अनुवादक) भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले वैसे रहेंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अयोग्यता- वह व्यक्ति, -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

   (ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. ढील देने की शक्ति- जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से विचार विमर्श द्वारा तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकेगा।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	97* (2018) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'ख'	लेवल-7 (44900-142400 रुपये)	चयन पद

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा।

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा । कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रूपये) के लेवल-6 में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें शामिल हैं:- i. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मानव संसाधन) - **अध्यक्ष** ii. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I (मानव संसाधन) - **सदस्य** iii. निदेशक (राजभाषा), ऐसा न होने की स्थिति में उपलब्ध वरिष्ठतम उप निदेशक (राजभाषा) – **सदस्य**	लागू नहीं।

सुनील बड़थ्वाल
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं
सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./227/18]

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2018

No.HRD/22/2016/RR/OL.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (No. 19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation, Senior Hindi Translator Recruitment Rules 2003, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to the post of Senior Hindi Translator in the Employees' Provident Fund Organisation, under the Ministry of Labour and Employment, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation (Senior Hindi Translator) Recruitment Rules, 2018

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. .- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. Disqualification : No person -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that the Central Board may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: Where Central Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Labour and Employment, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	LEVEL in the Pay Matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Hindi Translator	97* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B'	Level-07 (Rs.44,900 – 1,42,400)	Selection post.	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Hindi Translator in Level-06 (Rs.35400 - 112400) in the pay matrix with 5 years' regular service in the grade.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (i) Additional Central Provident Fund Commissioner (Human Resource) - Chairman (ii) Regional Provident Fund Commissioner, Grade - I (Human Resource) - Member (iii) Director (Official Language) failing which the senior most Deputy Director (Official Language) – Member	Not Applicable.

SUNIL BARTHWAL
Central Provident Fund Commissioner and
Secretary, Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./227/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.